ISSN: 2456–5474 RNI No.UPBIL/2016/68367 Vol.-6* Issue-5* June- 2021
Innovation The Research Concept

भारत मे गिरता हुआ लिंगानुपात : एक समाजशास्त्रीय अध्ययन

Declining Sex Ratio in India: A Sociological Study

Paper Submission: 05/06/2021, Date of Acceptance: 15/06/2021, Date of Publication: 24/06/2021

दयाशंकर सिंह यादव
एसोसिएट प्रोफेसर,
समजाशास्त्र विभाग,
सकलडीहा पी.जी.कालेज,
सकलडीहा, चन्दौली,
उत्तर प्रदेश, भारत

सारांश

भारत में सदैव ही महिलाओं का आदर हुआ है। व्यवहारिक रूप में विभिन्न युगों में भारत में नारी की स्थिति उठती और गिरती रही है। भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति बहुत अस्पष्ट है। कुछ पवित्र ग्रन्थों में यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता' कहकर उन्हे अत्यन्त ऊँचा स्थान दिया गया है। उपरोक्त उक्ति हमें प्राचीन समाज में नारियों की प्रतिष्ठित अवस्था का भी बोध कराती है। महिला चाहे ग्रामीण अंचल की हो या शहरी, कही न कही शोषण से पीडित है। इसका मूल करण पुरूष प्रधान समाज है। भारत में पुरूष प्रधान समाज होने के कारण महिला वर्ग मॉ के गर्भ से मृत्यु की गोद तक शोषण, दमन, अत्याचार एवं उत्पीडन का शिकार बन कर रह गई है। इस पुरूष प्रधान समाज के कारण पुरूष शासक एवं महिला शोषित बनकर रह गई है। दलित, जनजातीय एवं पिछडी जातियों की महिलाओं की स्थिति सम्पन्न गॉवों तथा शहरों, महानगरों तथा कस्बों सभी जगह असुरक्षित है।

Women have always been respected in India. In practice, the status of women in India has been rising and falling in different eras. The position of women in Indian society is very unclear. In some sacred texts, he has been given a very high position by saying 'Yatra Naryastu Pujyante Ramante Tatra Devta'. The above statement also gives us an idea of the prestige status of women in ancient society. Whether the woman is from rural area or urban, she is suffering from exploitation somewhere. Its root cause is a male dominated society. Due to being a male dominated society in India, women have become a victim of exploitation, oppression, atrocities and oppression from mother's womb till death. Due to this male dominated society, male rulers and women have become oppressed. The status of women belonging to Dalit, Tribal and Backward Castes is vulnerable in prosperous villages and in cities, metros and towns everywhere.

मुख्य शब्द : लिंगानुपात जनसंख्या, भौगोलिक अनुकूल, लिंगानुपात प्रतिकूल, लिंगानुपात, संतुलित लिंगानुपात।
Sex Ratio Population, Geographical Favorable, Unfavorable Sex Ratio, Sex Ratio Balanced Sex Ratio.

प्रस्तावना

विश्व में तीन प्रकार के लिंगानुपात पाए जाते है

प्रथम	दूसरा	तीसरा
अनुकूल लिंगानुपात	प्रतिकूल लिंगानुपात	संतुलित लिंगानुपात
पुरुषों से स्त्रियों की संख्या अधिक	पुरुषों की संख्या स्त्रियों की संख्या से अधिक	स्त्री एवं पुरुषों की संख्या लगभग बराबर

इसी आधार पर उत्तर प्रदेश राज्य लिंगानुपात का विश्लेषण करने पर इसमें कमी के बाद वर्तमान में वृद्धि दृष्टिगोचर हो रही है।

अध्ययन का उद्देश्य

स्त्री पुरुष अनुपात किसी क्षेत्र, प्रदेश या देश की जनसंख्या के लिए महत्वपूर्ण होता है। जनसंख्या का अनुपात समाज की आधारशिला होती है। लिंगानुपात का अर्थ किसी क्षेत्र विशेष के स्त्री और पुरुष की संख्या का अनुपात होता है। प्रायः यह किसी भौगोलिक क्षेत्र के प्रति हजार पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या को इसकी इकाई के रूप में माना जाता है। लिंगानुपात किसी क्षेत्र की जनसंख्या की महत्वपूर्ण विशेषता होती है जो उस क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण

भूमिका निभाती है। दोनों का संतुलित होना आवश्यक है। स्त्री और पुरुष के तुलनात्मक अध्ययन द्वारा इनके सांख्यिकी, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक स्थिति की जानकारी प्राप्त होती है। और इन्हीं आंकड़ों द्वारा योजना बनाकर संतुलित विकास की कल्पना की जाती है।

साहित्यावलोकन

लिंगानुपात में हुए परिवर्तन से सामाजिक आर्थिक भूदृश्य के गतिमान प्रतिरूप किसी न किसी स्तर पर संबंधित होते हैं। पंत (1983)[1] के अनुसार लिंगानुपात से महिला और पुरुष से संबंधित समूह का आकार प्रकट होता है। जनांकिकीय संरचना में लिंग और आयु की संरचना का महत्वपूर्ण स्थान होता है। जिसके आधार पर श्रम की उपलब्धता एवं मात्रा का किसी स्थान के विशेष संदर्भ में पता लगाया जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा समाजकार्य, अर्थशास्त्र तथा जनसंख्या (1973) पर किए गये शोधों के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि जनसंख्या का लिंगानुपात समस्त जनांकिकीय विशेषताओं की प्रमुख इकाई है, जो जन्म, मृत्यू, विवाह को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। जनसंख्या वृद्धि, लिंगानुपात, विवाह तथा प्रवास दर का प्रभाव व्यवसायिक संरचना पर पड़ता है। इसके अध्ययन से रोजगार और उपभोग का प्रतिरूप सामाजिक आवश्यकता तथा किसी वर्ग की मनोवैज्ञानिक विशेषता को समझने में सहायता होती है। सिंह (1991)[2] ने स्वीकार किया कि लिंगानुपात से समाज की जन्म दर, मृत्यु दर एवं प्रवास दर प्रभावित होती है। यह व्यक्तिगत श्रम क्षमता का सूचक एवं मानव जीवन स्तर का निर्देशक होता है। ट्रिवार्था (1953)[3] ने माना कि लिंगानुपात का अध्ययन किसी क्षेत्र के भौगोलिक विश्लेषण के लिए महत्वपूर्ण है। क्योंकि लिंगानुपात के विश्लेषण के साथ ही साथ दूसरे जनांकिकीय तत्वों को भी अत्यंत गहराई से प्रभावित करती है।

तालिका संख्या

भारत, एवं उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात वर्ष 1901 से 2011 तक।

वर्ष	भारत	उत्तर प्रदेश
1901	972	942
1911	964	916
1921	955	908
1931	950	903
1941	945	907
1951	946	908
1861	941	907
1971	930	879
1981	934	886
1991	927	876
2001	933	898
2011	943	912

स्रोतः जिला जनगणना हस्त पुस्तिका एवं www.nic.in-

नारी अपनी अस्मिता एंव सम्मान के प्रति इतनी संवेदनशील होती है कि कदम–कदम पर उसे तत्कालीन परिस्थतियों से समझौता करना पडता है। पारिवारिक जिम्मेदारी, सम्मान की चिंता, अपमान का भय, सामाजिक तिरस्कार की ग्लानी कुछ ऐसे कारण है जिनकी वजह से वे अपने साथ हुई प्रत्येक दुर्व्यवहारों एवं यौन उत्पीडन को ऑख बंदकर सह लेती है। पुरूष प्रधान समाज एवं वातावरण महिलाओं की इस बेबसी का लाभ उठाने लगता है। जिसकी परिणति यौन उत्पीडन के रूप में सामने आती है। ऐसे समाज की स्थापना हो जहां महिलाओं का शोषण न हो तथा नारी के पावों मे पडी पायल रूपी जंजीर हमेशा के लिए टूट जाये और उसका ऑचल उसकी गुलामी का नही अपितु आजादी का परचम बनकर लहराए। महिलाओं के सुरक्षित हित एवं समाज में सामान भागीदारी के लिए प्रयास किये जाने चाहिए जहॉ महिलाओं के प्रति किये जा रहे अपराध दर में कमी आयेगी वहीं दूसरी और समाज में उनके हितों का भी संरक्षण किया जा सकेगा। महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा को रोकने के लिए सम्बन्धित कानूनो का प्रभावी क्रियान्वयन किया जाये। केवल कानूनों के निर्माण से महिलाओं को घर में सुरक्षा एवं शाति प्राप्त नही होगी अपितु स्त्रियों के सम्बन्ध में पुरूषों को अपनी मानसिकता बदलनी होगी।

जनसंख्या की दृष्टि से भारत चीन के बाद विश्व का दूसरा बडा देश है। इस जनसंख्या बहुल देश में मेक इन इंडिया को तभी सफल बनाया जा सकता है। जब विदेशी निवेश आकर्षित करने के साथ–साथ स्वंय सहायता समूहों को भी विनिर्माण के लिए घरेलू स्तर पर प्रोत्साहित किया जाए। ये समूह लघु एवं कुटीर उद्योगों को बढावा देंगे जिससे ने केवल निर्माण मे वृद्धि होगी, बल्कि रोजगार सृजन एवं गरीबी निवारण में भी मददगार साबित होगी। भारत की अधिकांश आबादी गॉवो में निवास करती है, लेकिन यहॉ की औद्योगिक क्रियाकलापा शहरो तक ही सीमित है। दूसरी ओर श्रमिकों की बहुलता तो है परन्तु कुशल श्रमिकों का अभाव है जो भी कुशल श्रमिक है वह शहरों की ओर पलायन कर जाते है। कुछ अकुशल श्रमिक भी शहरों की ओर आकर्षित होते है लेकिन उनके जीवन–स्तर में सुधार नही हो पाता, जिससे ग्रामीण निर्धनता के साथ–साथ शहरी निर्धनता एवं मलिन बस्तियों में वृद्धि हो रही है। स्वास्थ्य समस्याएं भी बढ रही है। इन सभी समस्याओं के समाधान हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में स्वंय सहायता समूहों की भागीदारी मेक इन इंडिया को सफल बनाने में सहायक सिद्ध हो सकती है।

महिलाऍ हमारी आधी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करती है उन्हे देश के विकास में सहभागी बनाए बिना विकास की कल्पना अधुरी रह जाएगी। महिलाऍ जिनकी समस्याऍ समान है जैसे अशिक्षा, अकुशलता, पर्दा–प्रथा और विनिर्माण में सहभागिता का अभाव आदि। स्वंय सहायता समूह की सहायता से जो समान प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए गठित की जाती है। उनको प्रोत्साहन देकर विनिर्माण में वृद्धि, निर्यातोन्मूख अर्थव्यवस्था का सृजन, गरीबी निवारण , अशिक्षा एवं बेरोजगारी को दूर किया जा सकता है जिससे देश विकासशील से विकसित बन सकता है।

मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, इसे पृथ्वी का सबसे श्रेष्ठ बुद्धिजीवी होने का गौरव प्राप्त है। फिर भी समाज में कुछ ऐसी गलतियॉ करके अपने स्तर को खोजा जा रहा है। प्रत्येक जीव अपने विकास के लिए निरन्तर प्रयासरत रहते है जबकि मानव ही एक ऐसा प्राणी है जो अपने ही स्वरूप को नष्ट करने पर तुला है क्योंकि मानव समाज की उत्पत्ति में महिलाओं एवं पुरूषों की बराबर की भागीदारी सुनिश्चित होती है।

प्राचीनकाल से अद्यतन समाज तक स्त्रियों के साथ हमेशा दोयम दर्जे का व्यवहार किया जा रहा है। महाकाव्य काल में जगह–जगह पर पुत्रेष्टि यज्ञ का प्रचलन मिला है। राजा दशरथ ने पुत्र के निमित्त से यज्ञ करवाया था। वही महाभारत काल में वंश परम्परा को आगे बढने के लिए नियोग जैसी निन्दित कार्य किया गया क्या पुत्र ही वंश परम्परा को आगे बढाते है पुत्रियां नही। बिना बीज एवं क्षेत्र (भूमि) नये पादप का सृजन नही किया जा सकता ठीक उसी प्रकार मानव की अपनी परम्परा को आगे बढाने के लिए स्त्री और पुरूष दोनो का होना नितांत आवश्यक है। यदि यह सन्तुलन दिन–प्रतिदिन बिगडता गया तो सामाजिक बुराई का स्तर अपने शिखर पर पहुॅच जायेगा जिससे मानव समाज की मर्यादा एवं संस्कृति विनष्ट हो जायेगी।

पुत्रों को जो स्थान परिवार में प्राप्त होता है वह पुत्रियों को क्यो नही क्या उनके लिया 'जाया' दूसरी होती है। वंश परम्परा का जितना घोतक पुरूष होते है उतना महिलाएं भी होती है। वर्तमान आर्थिक भौतिकवादी युग कम संतान पैदान करने का जो प्रचलन आया है उसमे विशेषकर हिन्दुओं में पुत्र की कामना सर्वोपरि रही है। समाज में नित नये अपराध बढते जा रहे है जिनमें कन्या भ्रूण हत्या का एक जघन्य अपराध है। इस जघन्य अपराध को करने वाले माता–पिता व चिकित्सक को समाज में गोपनीय ढंग से अंजाम देते है। जिससे वे इस अपराध से बचकर बाहर हो जाते है पुत्रों के बारे में सामाजिक धारणा रही है बेटा शमशान तक साथ चलेगा, मुखवाही देगा तब शास्त्रों के अनुसार मुझे स्वर्ग की प्राप्ति होगी अन्यथा मेरी आत्मा स्वर्ग न जाकर इस मृत्युलोक में मेरे मरने के पश्चात भटकती रहेगी। मेरे नाम को आगे पुत्री की कोख से जन्मी हुई सन्तान कदापि आगे नही ले जा सकती इसे बेटा ही आगे ले जा सकता है। अर्थात मृत्यु पश्चात भी हमें जिन्दा कोई रख सकता है तो वह बेटा ही रहेगा।

बेटियों का क्या भूखा रहकर रातभर जागकर पढाओं–लिखाओ बडा करो और घर की जमी–जमाई पूॅजी दहेज नामक बीमारी में देकर उसका विवाह कर दिया जाता है तो वह सुख देने के लिए दूसरे के घर चली जाती है। इसी प्रकार सामाजिक मानसिक गलत धारणा के चलते पुत्रियों को जन्म से पहले ही मार देने की व्यवस्था इस समाज में धडल्ले से चल रही है।

लिंग निर्धारण परीक्षण और गर्भपात सेवाओं की आसानी से उपलब्धता भी इस समस्या को बढाने में योगदान दिया है। उल्लेखनीय है कि देश में लिंग निर्धारक तकनीकों का 1975 से इस्तेमाल हो रहा है। ये तकनीके मुख्यतः आनुवांशिक विकृतियों का पता लगाने के उद्देश्य से शुरू की गयी थी ताकि सुधारात्मक कदम उठाया जा सके परन्तु बाद में इस सुविधा का भ्रूण के लिंग का पता लगाने के लिए गलत इस्तेमान होने लगा और ये सब चिकित्सकों बायोलाजिकल प्रयोगशाला स्टाफ की मदद से होने लगा लोगों ने भ्रूण कन्या होने पर नष्ट करवाना शुरू कर दिया मामले को संवेदनशील मानते हुए केन्द्र ने कन्या भ्रूण हत्या पर रोक लगाने के वास्ते पूर्व संकल्पना और पूर्व प्रसव निदान तकनीके (लिंग चयन निषेध) अधिनियम 1994 में पेश किया जो 1996 से लागू हो गया तब से लेकर इसे अधिक व्यापक बनाने के लिए इसमें कई संशोधन किये गये बाद में पूर्व संकल्पना लिंग की जांच तकनीक को इस अधिनियम के दायरे में लाया गया ताकि इनका दुरूपयोग न किया जा सके।

सृष्टि में जीवन का संचार करने वाली संताने अनिवार्य कडी है नारी लेकिन सवाल है कि हम उसे पैदा क्यों नही होने देना चाहते है। क्यों उसे गर्भ में ही निजात पाने के तमाम जतन करते रहते है। इस समस्या के बीच कहीं न कहीं हमारी रूढिवादी सामाजिक परम्पराओं में देखे जा सकते है। सामान्यतः समाज में कन्या को दान की वस्तु और दूसरे के घर की अमानत मानते हुए भी पालापेशा जाता है। उसके पैदा होते ही उसके लिए दहेज जुटाने की चिन्ता भी पैदा हो जाती है। इस रूप में वह जन्म के साथ ही भार प्रतीत होने लगती है।

राष्ट्रीय जनगणना आयोग के आंकडे इस बात की पुष्टि कर रहे है कि नियम कानून को ताख पर रखकर लिंग जॉच गॉव में की जा रही है। पिछले दिनों बिहार के वैशाली जिलों के जन्दाहा गांव के चार अल्ट्रासाउण्ड सेण्टर पर छापा मारकर उन्हे बन्द किया गया। बिहार की ही बात को आगे बढाया जाये तो यहां 2001 में एक हजार पुरूषों पर 921 स्त्रियों की संख्या थी 2011 में यह 916 हो गयी। अगर सेक्स रेशियो इसी तरह गिरता रहा तो वह दिन दूर नही जब बिहार के ये जिले हरियाणा के जर्झर और सोनीपत जैसे जिले को भी पीछे छोड देंगे। गौरतबल है कि हरियाणा का सेक्स रेशियो 1000 पुरूषों में महज 875 है और वहां बेटों के लिए दूल्हे मणिपुर बिहार झारखण्ड केरल जैसे राज्यों से लानी पड़ती है। गणना के दौरान यह भी पता चला कि हरियाणा में ऐसे 70 गांव है जहां कई वर्षो से एक भी बच्ची ने जन्म नही लिया है। केरल ही ऐसा इकलौता राज्य है जहां कि साक्षरता दर व लिंगानुपात दोनो में समान वृद्धि देखी गयी है।

बालक बालिकाओं के बीच घटता अनुपात एक चिन्ता का विषय है। पिछले कुछ वर्षो में बालक बालिकाओं के बीच लिंगानुपात का गिरावट एक प्रमुख राष्ट्रीय मुद्दा बन गया है। 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 में बालक बालिकाओं का लिंगानुपात (0–6) के अनुसार प्रति हजार पुरूषों के मुकाबले 927 महिलाएं थी। जबकि 2011 में यह संख्या 919 हो गयी है। सबसे रोचक तथ्य है कि स्वत्रन्त्रता से पूर्व का दौर इससे कुछ भिन्न था। उस समय लडकियों की संख्या लडको से कहीं अधिक थी। 1941 इस वर्ग में लिंगानुपात 10–10 का था।

ऑकडे इस धारणा को गलत दर्शाते है कि साक्षरता बढने के साथ ही देश में महिलाओं की स्थिति में सुधार आयेगा। वर्ष 1951 में तो देश की 18.33 प्रतिशत आबादी ही साक्षर थी यह प्रतिशत 2011 में बढकर 70.04 हो चुका है। लेकिन क्या समाज में महिलाओं की स्थिति में भी इसी अनुपात में सुधार हुआ है महिलाओं के प्रति विकृत नजरिये की वजह अशिक्षा से ज्यादा समाज की दूषित सोच है। जब हम अनपढ थे तो पुरूषों और महिलाओं की आबादी में असंतुलन के खतरे को नही समझ पाये लेकिन शिक्षित होने के बाद भी अगर हम अपने नजरिये को बदल नही पाये तो यह चिंता का विषय है।

निष्कर्ष

आज इस भौतिकवादी आर्थिक युगीन संस्कृति में महिलओं को सामाजिक एवं मानसिक रूप से सुरक्षित करने के लिए हर व्यक्ति को अपना नजरिया बदलना पडेगा तब जाकर कहीं महिलाये अपने उस वंचित अधिकार को प्राप्त कर सकेंगी। वर्तमान सरकार के गठन के दो महीने बाद से प्रधानमंत्री ने स्वतन्त्रता दिवस के अवसर पर लाल किले से ''कन्या भ्रूण हत्या'' महिलाओं की सुरक्षा का मामला उठाया था प्रधानमंत्री ने तब कहा था कि लोगों केा बेटियों से नही बल्कि अपने बेटो से ही घर से बाहर निकलने पर पूछना चाहिए कि वे कहां जा रहे है। क्योंकि किसी महिला के साथ दुष्कर्म करने वाला व्यक्ति किसी का बेटा होता है। आप अपने बेटे पर वैसे ही बंधन क्यो नही लगाते प्रधानमंत्री ने यहा पर समाज में बेटे और बेटी के बीच बढते भेदभाव लडकियों की सुरक्षा एवं स्वतन्त्रता को लेकर चिंता जताई थी। लोग बेटियों के पैदा होने से पहले ही माद देते है। क्या भ्रूण हत्या पर कानून होने के बावजूद कई राज्यो में लडकियों की संख्या घटती जा रही है।

महिला शिक्षा के इसी महत्व को समझते हुए अब केन्द्र सरकार ने बेटी को पढाने के लिए मुकम्मल योजना बनाई है और इसे नाम दिया है 'बेटी पढाओं बेटी बचाओं' प्रधानमंत्री नी नरेन्द्र मोदी ने 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत से इस योजना की शुरूआत की इस योजना में प्रारम्भ में सभी राज्यों एवं केन्द्रशासित प्रदेशों के 100 चुनिन्दा जिलों को शामिल किया जा रहा है।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. *पंत, जे0 सी0, 1983, जनांकिकीय, गोयल पब्लिशिंग हाउस,मेरठ,पेज संख्या 231–232 ।*
2. *Singh, T.D., 1991,Age-sex structure in india: An appraisal, appeared in population growth, environment and development: issues, impacts and responses, edited by Singh, K.N., and Singh D.N., Environment and development study center, B.H.U., PP. 155&156.*
3. *Trewartha, G.T., A case for population Geography, Annals of the Association of American Geographers, Vol. 43, PP. 71-97.*
4. *लाल, हीरा, 1989, जनसंख्या भूगोल, वसुन्धरा प्रकाशन, गोरखपुर, पेज संख्या 204 ।*
5. *ओझाा, आर, 1988, जनसंख्या भूगोल, प्रतिभा प्रकाशन,दिल्ली ।*